

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

विराटनगर 41 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि


श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (नाम) म.नं. 578, गंगा माता मन्दिर क्षेत्र पावटा, जयपुर (पता)

[जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए।]

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान जयपुर

तारीख - 11.12.2018



(ज्योती सिंह)

हस्ताक्षर
रिटनिंग अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

रिटनिंग अधिकारी
विधानसभा क्षेत्र विराटनगर -041

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of
the People Act, 1951**

* Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State /Union territory)
Form Viratnagar Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of
the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I
declare that-

SHRI INDRAJ SINGH GURJAR (Name)

HOUSE NO- 578, GANGA MATA MANDIR SHETRA, PAOTA, TEH- KOTPUTLI, JAIPUR.
(Address) [Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (Name of the
recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House
from the above constituency.

Place : JAIPUR

Date : 11.12.2018

(जयवीर सिंह)
Signature अधिकारी.....
(उत्तरांचल अधिनियम एवं उत्तरांचल मजिस्ट्रेट)
Returning Officer
विधानसभा क्षेत्र विराटनगर -041